प्रश्नोतर से संबंधित परिशिष्ट

परिशिष्ट ' बाईस '

[6/12/2016]

प्रश्न सं. [क्र. 1308]

विधान सभा तारांकित प्रश्न क्र. : 1308 प्रश्नकर्ता: मान. विधायक श्रीमति उषा चौधरी

प्रपत्र — "अ"

100 वॉट तक स्वीकृत भार एवं 30 यूनिट प्रतिगाह से कम खपत वाले मीटरीकृत घरेलू उपभोक्ताओं हेतु विद्युत दर (एल.व्ही.-1.1)

मासिक खपत (यूनिट)	ऊर्जा प्रभार (पैसे प्रति यूनिट) शहरी / ग्रामीण क्षेत्रों के लिए	मासिक नियत प्रभार (रु प्रति संयोजन)	आयोग द्वारा निर्धारित दरों पर राज्य शासन द्वारा दी जाने वाली सब्सिडी (पैसे प्रति यूनिट)
30 यूनिट तक	290	निरंक	90
इस श्रेणी के उपभोक्ताओं को न्यूनतम प्रभार के रूप में रुपये 40 प्रति संयोजन प्रति माह लागू होंगें			

घरेलू मीटरीकृत उपभोक्ताओं हेतु विद्युत दर (एल.व्ही.-1.2)

मासिक खपत के खण्ड	ऊर्जा प्रभार दूरबीनी प्रसुविधा के साथ (पैसे प्रति यूनिट) (शहरी /ग्रामीण क्षेत्रों में)	मासिक नियत प्रभार (रुपये में)	
		शहरी क्षेत्रों में	ग्रामीण क्षेत्रों में
50 यूनिट तक	365	45 प्रति संयोजन	30 प्रति संयोजन
51 से 100 यूनिट तक	435	80 प्रति संयोजन	55 प्रति संयोजन
101 से 300 यूनिट तक	560	प्रति आधा किलोवॉट अधिकृत भार पर रु 90 की दर से	प्रति आधा किलोवॉट अधिकृत भार पर रु 70 की दर से
300 यूनिट से अधिक	610	प्रति आधा किलोवॉट अधिकृत भार पर रु 95 की दर से	प्रति आधा किलोवॉट अधिकृत भार पर रु 90 की दर से
उपरोक्त श्रेणियों हेतु रु 60 प्रति संयोजन प्रति माह के न्यूनतम प्रभार ऊर्जा प्रभारों हेतु लागू होंगें			

अमीटरीकृत उपभोक्ताओं के लिए

विवरण	अमीटरीकृत उपभोक्ताओं के लिए मासिक यूनिट एवं ऊर्जा प्रभार (पैसे प्रति यूनिट)	मासिक स्थाई प्रभार (रुपये में)
शहरी क्षेत्र में अमीटरीकृत संयोजन हेतु	100 यूनिट हेतु 510 पैसे प्रति यूनिट की दर से	90 प्रति संयोजन
ग्रामीण क्षेत्र में अमीटरीकृत संयोजन हेतु	75 यूनिट हेतु 400 पैसे प्रति यूनिट की दर से	45 प्रति संयोजन
इस श्रेणी के उपभोक्ताओं के लिए किसी प्रकार के न्यूनतम प्रभार लागू नहीं होंगे।		

अनुभाग अधिकारी
म.प्र. शासन, ऊर्जा विभाग,
मंत्रालय, भोपाल

उप महाप्रबंधक (कार्य-ए डी बी)
म.प्र.पूर्व क्षेत्र वि.वि.कं.लि.
जबलपुर

अनुमोदित दिन कं. 1368 प्रपत्र - 'ब'

MD (East Zone)
Jabalpur
D/R No. 3891
Dt. 11/8/16

D (Commercial)
M.P.P.K.V.V.Co.Ltd. JBP.
Receipt No. 4540
Date 12/8/16

1/2

मध्यप्रदेश शासन
ऊर्जा विभाग
मंत्रालय

आदेश

भोपाल,दिनांक

कमांक एफ–5–15/2011/तेरह : राज्य शासन ने एतद्द्वारा विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 65 के अनुसार म.प्र. विद्युत नियामक आयोग द्वारा दिनांक 5 अप्रैल 2016 को जारी टैरिफ आदेश से लागू विद्युत दरों में निम्नलिखित उपभोक्ता श्रेणियों को वित्तीय वर्ष 2016–17 के लिये निम्नानुसार सब्सिडी प्रदान करने का निर्णय लिया है:–

1. मात्र 30 यूनिट तक की मासिक खपत वाले घरेलू उपभोक्ताओं (100 वॉट तक संयोजित भार) को 90 पैसे प्रति यूनिट की सब्सिडी दी जाए।

2. स्थाई संयोज़न वाले फ्लेट रेट कृषि उपभोक्ताओं को प्रति हार्स पावर प्रतिवर्ष मात्र रूपये 1400 की दर से विद्युत बिल का भुगतान करना होगा। शेष अन्तर की राशि का पूर्ण भार राज्य शासन द्वारा टैरिफ सब्सिडी के रूप में वहन किया जाए।

3. एक हेक्टेयर तक की भूमि वाले 5 हार्स पावर तक के अनुसूचित जाति एवं जनजाति के समस्त कृषि उपभोक्ताओं को निःशुल्क विद्युत प्रदाय की जाए एवं इसकी एवज् में राज्य शासन द्वारा वितरण कंपनियों को सब्सिडी प्रदान की जाए।

4. मीटर से बिजली प्राप्त कर रहे स्थाई कृषि उपभोक्ताओं को ऊर्जा प्रभार में निम्नानुसार सब्सिडी दी जाए:–

DGM (Claims)/ subsidy
12-08-16

(क)	प्रथम 300 यूनिट तक	– रू. 2.30 प्रति यूनिट
(ख)	301 से 500 यूनिट तक	– रू. 2.70 प्रति यूनिट
(ग)	501 से 750 यूनिट तक	– रू. 2.55 प्रति यूनिट
(घ)	750 यूनिट से अधिक	– रू. 2.85 प्रति यूनिट

5. अस्थाई संयोजन वाले मीटरयुक्त एवं मीटररहित कृषि उपभोक्ताओं को ऊर्जा प्रभार में रूपये 1.75 प्रति यूनिट की दर से सब्सिडी दी जाए।

6. फ्लेट रेट स्थाई कृषि पंप उपभोक्ताओं के अलावा स्थाई तथा अस्थाई दोनों श्रेणी के सभी कृषि उपभोक्ताओं के लिए ऊर्जा प्रभार में उल्लेखित सब्सिडी के अतिरिक्त एफसीए (ईंधन

सत्य प्रतिलिपि

उप महाप्रबंधक (...)
म.प्र.पूर्व क्षेत्र वि.वि.कं.लि.
जबलपुर

लागत समायोजन) तथा फिक्स्ड चार्ज में पूर्ण छूट प्रदान करते हुए इसका भार राज्य शासन द्वारा वहन किया जाए तथा इसकी एवज् में सब्सिडी दी जाए।

7. डी.टी.आर. मीटर से बिजली प्राप्त कर रहे समूह कृषि उपभोक्ताओं को ऊर्जा प्रभार में रू.1.60 प्रति यूनिट की सब्सिडी देते हुए ईंधन प्रभार समायोजन (एफसीए) की एवज् में भी सब्सिडी दी जाए।

8. नगरपालिका/नगर पंचायत की निम्नदाब सड़कबत्ती योजनाओं हेतु नियत प्रभार (फिक्स्ड चार्ज) पर रूपये 95 प्रति किलोवाट प्रतिमाह की सब्सिडी दी जाए।

9. उच्चदाब उद्वहन/समूह सिंचाई उपभोक्ताओं को वार्षिक न्यूनतम प्रभार से छूट तथा ऊर्जा प्रभार में 190 पैसे प्रति यूनिट की सब्सिडी दी जाए।

10. गरीबी रेखा से नीचे जीवनयापन करने वाले अनुसूचित जाति एवं जनजाति के घरेलू उपभोक्ताओं को प्रति माह मात्र 25 यूनिट तक के बिजली उपभोग पर ऊर्जा प्रभार में रूपये 2.90 प्रति यूनिट की सब्सिडी प्रदान की जाए।

11. 25 हार्स पावर तक के पावरलूम उपभोक्ताओं को फिक्स्ड चार्जेस में छूट तथा ऊर्जा प्रभार में रूपये 1.25 प्रति यूनिट की सब्सिडी दी जाए। पावरलूम उपभोक्ताओं को सब्सिडी वाणिज्य, उद्योग और रोजगार विभाग के बजट से दी जाए।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

(एम. चारीवाल) 9/8/16
विशेष कर्त्तव्यस्थ अधिकारी
म.प्र.शासन,ऊर्जा विभाग
भोपाल,दिनांक 9 AUG 2016

पृष्ठांकन क्रमांक एफ–5–15/2011/तेरह

प्रतिलिपि :–

1. अपर मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन,वित्त विभाग, मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल।
2. उद्योग आयुक्त, उद्योग संचालनालय, विंध्याचल भवन, भोपाल।
3. प्रबंध संचालक, एम.पी. पावर मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड, जबलुर।
4. प्रबंध संचालक, म.प्र. पूर्व/मध्य/पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड, जबलपुर/भोपाल/इंदौर।
5. आयोग सचिव, म.प्र. विद्युत नियामक आयोग, भोपाल।

विशेष कर्त्तव्यस्थ अधिकारी
म.प्र.शासन,ऊर्जा विभाग

सत्य प्रतिलिपि

अनुभाग अधिकारी
म.प्र. शासन, ऊर्जा विभाग,
मंत्रालय, भोपाल

उप महाप्रबंधक (कार्स-ए डी बी)
म.प्र.पूर्व क्षेत्र वि.वि.क.लि.
जबलपुर